



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 122 /अका./का.प/2022

रायपुर, दिनांक 16/09/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की उनसठवीं बैठक गुरुवार दिनांक 06.10.2022 को मध्याह्न 12.00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.08.2022 एवं 17.08.2022 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
(पृष्ठ क्र 01 से 09 तक)
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.08.2022 एवं 17.08.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु नोडल केंद्रों को अग्रिम प्रदान करने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
टीप: वार्षिक परीक्षा 2022, 16 अप्रैल, 2022 से प्रारंभ हुई थी। उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शीघ्र हो इस हेतु केंद्रों का गठन किया गया था। दो महाविद्यालयों के पारिश्रमिक राशि रूपए 4,52,612+2,77,646 = 7,30,258 (रूपए सात लाख तीस हजार दो सौ अठावन मात्र) को कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में भुगतान किया गया है। अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
4. राज्य शासन के आदेश क्रमांक 536/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 16-08-2022 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.08.2022 से सातवाँ वेतनमान में 22 प्रतिशत से बढ़ा कर 28 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 174 प्रतिशत से बढ़ाकर 189 प्रतिशत किए जाने संबंधी वित्त निर्देश को अंगीकृत करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।
टीप: छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 15/2022, पत्र क्रमांक 536/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 16-08-2022 के परिपालन में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को निम्नानुसार अंगीकृत कर लिया गया है :-

वेतनमान	अवधिय जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवाँ वेतनमान	दिनांक 01.08.2022	6%	28%
छठवाँ वेतनमान	दिनांक 01.08.2022	15%	189%

उक्त वित्त निर्देश को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

5. वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु नोडल केंद्रों को अग्रिम प्रदान करने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: वार्षिक परीक्षा 2022, 16 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुई थी। उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शीघ्र हो इस हेतु केंद्रों का गठन किया गया था। दो महाविद्यालयों के पारिश्रमिक राशि रूपए 2,84,430 + 9,00,000= 11,84,430.00 (रूपए ग्यारह लाख चौरासी हजार चार सौ तीस मात्र) का कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में भुगतान किया गया है। अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 8,89,356.00 (रूपए आठ लाख नवासी हजार तीन सौ छप्पन मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : 1. डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार, प्राध्यापक पद से दिनांक 30.06.2022 को सेवानिवृत्त हुई हैं।

2. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 3241/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 28.06.2022 से डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक को कुल 127 दिन के अवकाश नगदीकरण की पात्रता स्वीकृत की गई है।

3. डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर कुल 127 दिन के अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 8,89,356.00 (रूपए आठ लाख नवासी हजार तीन सौ छप्पन मात्र) कार्यपरिषद् के स्वीकृति की प्रत्याशा में भुगतान कर दी गई है।

4. डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार से वेतन संबंधी किसी प्रकार का लेन-देन शेष नहीं है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

7. डॉ. भगवंत सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 20,67,168.00 (रूपए बीस लाख सड़सठ हजार एक सौ अड़सठ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : 1. डॉ. भगवंत सिंह, प्राध्यापक पद से दिनांक 30.06.2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं।

2. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 3207/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 25.08.2022 से डॉ. भगवंत सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक को कुल 240 दिन के अवकाश नगदीकरण की पात्रता स्वीकृत की गई है।

3. डॉ. भगवंत सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर कुल 240 दिन के अवकाश नगदीकरण की राशि रूपए 20,67,168.00 (रूपए बीस लाख सड़सठ हजार एक सौ अड़सठ मात्र) कार्यपरिषद् के स्वीकृति की प्रत्याशा में भुगतान कर दी गई है।

4. डॉ. भगवंत सिंह से वेतन संबंधी किसी प्रकार का लेन-देन शेष नहीं है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के कंप्यूटर लैब के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस., टेबल, चेयर एवं फोटोकॉपी मशीन क्रय हेतु रुपए 15,94,195=00 (रुपए पंद्रह लाख चौरानबे हजार एक सौ पंच्यानबे मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के कंप्यूटर लैब के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस., फोटोकॉपी मशीन एवं कंप्यूटर टेबल एवं चेयर क्रय किया जाना है। उक्त सामग्री CSIDC के द्वारा निर्धारित दर पर ई-मानक पोर्टल से क्रय किया जाना है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

S.n.	Item Code	Item Name and Description	Qty	Rate	Total
01	700005211	Entry Level (Basic) Desktop Computer with Intel (B-Series) Processor- Intel Core i3	20	52153.00	1043060.00
02	700005115	Online UPS 5.0 KVA 30 Minutes	01	87955.00	87955.00
03	700003206	Single Function Mono (Black) Laser Jet Printers (18ppm)	04	12126.00	48504.00
04	700003488	Basic Digital Photocopier (Platen Cover Only) Size-A3	01	42350.00	42400.00
05	700000067	Computer Chair	20	3500.00	70000.00
06	700000071	Computer Table	20	2387.00	47740.00
Total					Rs. 13,39,659.00
GST@18%					Rs. 2,41,138.62
Inspection Charge					Rs. 13,396.00
Total Amount					Rs. 15,94,195.00

CSIDC Rate Contract में कंप्यूटर सामग्री अनुबंधित फर्म Sai Info Services, Mathpurena, Raipur (C.G.) से फोटोकॉपी मशीन VEERA TRADING COMPANY, Shailendra Nagar, Raipur (C.G.) एवं कंप्यूटर टेबल एवं चेयर Ankur Industries, Station Road, Raipur (C.G.) से क्रय किया जाना है। जिसका भुगतान C-VI-Other S.o.S. 2.A. Furniture एवं C-Computer/Photostat/Other Machine etc. से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त कंप्यूटर लैब के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस., फोटोकॉपी मशीन एवं कंप्यूटर टेबल एवं चेयर क्रय करने के लिए रु. 15,94,195=00 (रुपए पंद्रह लाख चौरानबे हजार एक सौ पंच्यानबे मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के 'वित्त निर्देश 18/2022' पत्र क्रमांक 549/418/वित्त/नियम/चार/2022 दिनांक 18.08.2022 के अनुक्रम में शासकीय सेवकों के त्यौहार अग्रिम रुपए 8000/- (रुपए आठ हजार मात्र) के स्थान पर अधिकतम राशि रुपए 10,000/- (रुपए दस हजार मात्र) किए जाने के संबंध में वित्त निर्देश को अंगीकृत करने पर विचार करना।

टीप : छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के 'वित्त निर्देश 18/2022' पत्र क्रमांक 549/418/वित्त/नियम/चार/2022 दिनांक 18.08.2022 के अनुक्रम में शासकीय सेवकों के त्यौहार अग्रिम की वर्तमान सीमा में वृद्धि करते हुए रुपए 8000/- (रुपए आठ हजार मात्र) के स्थान पर अधिकतम राशि रुपए 10,000/- (रुपए दस हजार मात्र) किए जाने हेतु वित्त निर्देश को अंगीकृत करने पर माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. स्वेक्द्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, रायपुर में प्राचार्य की पुनः नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।
टीप : बंद लिफाफा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
11. महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, समता कालोनी, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।
टीप : बंद लिफाफा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
12. श्रीमती प्रमिला गोकुल दास डागा कन्या महाविद्यालय, कचहरी चौक, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।
टीप : बंद लिफाफा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
13. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार,

S. Patel
12/9/22
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 123/अका./का.प./2022

रायपुर, दिनांक 16/09/2022

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

S. Patel
16/9/22
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



①

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 2148 /अका./का.प/2022

रायपुर, दिनांक 05/08/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की सड़सठवीं बैठक बुधवार दिनांक 03.08.2022 को मध्याह्न 12:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति –अध्यक्ष

1. डॉ. सी.डी. अगाशे	– सदस्य	8. डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स	– सदस्य
2. डॉ. एस.के. प्रसाद	– सदस्य	9. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	– सदस्य
3. डॉ. सौम्या नैय्यर	– सदस्य	10. डॉ. एम.एल. नायक	– सदस्य
4. डॉ. मधुलिका अग्रवाल	– सदस्य	11. श्री सोनाऊ राम नेताम	– सदस्य
5. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	– सदस्य	12. डॉ. अमिताभ पाण्डेय	– सदस्य
6. डॉ. के.एन. शर्मा	– सदस्य	13. श्री सत्यनारायण शर्मा	– सदस्य
7. डॉ. ममता शर्मा	– सदस्य		

डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: संपुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।
3. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15.07.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय: अनुमोदन किया गया।

फार्मसी संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कार्पस फण्ड हेतु विनियम क्रमांक-184 A के संबंध में विचार करना।
निर्णय: अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. डॉ. भगवंत सिंह, प्राध्यापक, तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 30,16,994.00 (रुपए तीस लाख सोलह हजार नौ सौ चौरानबे मात्र) के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

6. वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु नोडल केंद्रों को अग्रिम राशि रूपए 43,04,258 (रूपए तिरालीस लाख चार हजार दो सौ अठावन मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

7. श्री गणेश राम यादव, मल्टीग्राफर, जैविकी अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रूपए 09,58,884.00 (रूपए नौ लाख अठावन हजार आठ सौ चौरासी मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. सत्र 2021-22 में अंतर-महाविद्यालयीन एवं सेक्टर स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए संबंधित महाविद्यालय के सभी खेलों के सब्सिडी राशि रूपए 5.66 लाख (रूपए पाँच लाख छैसठ हजार मात्र) के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

9. विश्वविद्यालय की क्रीड़ा समिति में दो नए सदस्यों के मनोनयन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय परिनियम 2-1(iv) के तहत की क्रीड़ा समिति में निम्नानुसार दो नए सदस्यों का मनोनयन किया गया :-

- (1) श्री विनय बैसवाड़े, राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी, रायपुर
- (2) श्री मृगाल चौबे, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, राजनांदगाँव

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव

10. शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर को बायोकेमेस्ट्री विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अस्थाई रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कंप्यूटर सेंटर गोपनीय से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. फॉयरवाल डिवाइस क्रय किए जाने हेतु अनुमानित लागत राशि रूपए 40.00 लाख (रूपए चालीस लाख मात्र) के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव

12. फार्मसी संस्थान मॉड्यूलर लैब निर्माण देयक ₹ 28,35,654=70 (रूपए अट्ठाइस लाख पैंतीस हजार छः सौ चौवन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

13. डिग्री मुद्रण के लिए ₹ 13,71,160=00 (रुपए तेरह लाख इकहत्तर हजार एक सौ साठ मात्र) के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

14. 41 महाविद्यालयों की सेमेस्टर परीक्षा 2022-23 हेतु प्रदत्त अग्रिम राशि ₹ 6,97,000=00 (रुपए छः लाख संतानबे हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव

15. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में संविलयित कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान का एरियर्स प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी उनके नाम के सम्मुख दर्शित तिथि से हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में संविलयित हो गए हैं। इस विश्वविद्यालय में 01.01.2016 से कार्यरत तिथि (संविलियन के पूर्व) तक के पुनरीक्षित वेतनमान (सातवाँ वेतनमान का) के एरियर्स राशि का भुगतान निम्नानुसार किए जाने का अनुमोदन किया गया :-

क्र.	कर्मचारी का नाम	दुर्ग वि.वि. में संविलियन तिथि	भुगतान योग्य एरियर्स राशि
01.	श्री रामप्रसाद देवांगन	14.07.2016	36900=00
02.	श्री अशोक कुमार खातखेड़े	20.01.2017	91881=00
03.	श्री योगेश कुमार सोनटेके	25.10.2016	45225=00
04.	डॉ. भावना पर्वत	20.01.2017	62669=00
05.	श्रीमती सविता पुसरिया	14.07.2016	20805=00
06.	श्रीमती रजनी मड़ावी	14.07.2016	20805=00
07.	श्रीमती मंजूषा तिरपुड़े	20.01.2017	39931=00
08.	श्री देवदास	20.01.2017	39931=00
09.	श्रीमती सपना सिन्हा	21.02.2017	30345=00
10.	श्री संजय कुमार खंडागड़े	11.07.2016	21420=00
11.	श्री रामकुमार	14.07.2016	15525=00
12.	श्रीमती नीलम श्रीवास्तव	14.07.2016	15525=00
13.	श्री कमलेश ठाकुर	14.07.2016	15525=00
14.	श्री अर्जुन लाल निराला	14.07.2016	12795=00
15.	श्री दीनदयाल पीस्दा	13.07.2016	12795=00
16.	श्री युगल किशोर	13.07.2016	12795=00
17.	श्री मनबोध तिकी	13.07.2016	12795=00
18.	श्रीमती लता बंजारे	14.07.2016	12795=00
		कुल रुपए	520462=00

यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव

16. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

17. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.08.2021 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने खाली स्थान में अलंकृत उद्यान विकसित करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि ₹ 12,48,795/- (रुपए बारह लाख अड़तालीस हजार सात सौ पंचानबे) की 50% राशि ₹ 6,24,397/- (रुपए छः लाख चौबीस हजार तीन सौ संत्यानबे मात्र) का भुगतान सहायक संचालक, उद्यान प्रमुख, उद्यान रायपुर को किया गया, शेष अलंकृत उद्यान रोपन कार्य हेतु प्राक्कलन राशि की शेष 50% राशि ₹ 6,24,398/- (रुपए छः लाख चौबीस हजार तीन सौ अंद्यानबे मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

18. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.06.2022 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय परिसर की खराब सड़कों के सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि ₹ 50.00 लाख की 50% राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) का भुगतान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-03 रायपुर को किया गया है तथा प्राक्कलन राशि की शेष 50% राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) का भुगतान चेक क्र. 4099609 दिनांक 11.07.2022 के द्वारा किया गया है, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

19. विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग हाल के नवीनीकरण फर्नीचर लेआउट कार्य हेतु वास्तुविद फर्म भारती एंड एसोसियट्स रायपुर द्वारा तैयार किए गए ड्राइंग डिजाईन एवं प्राक्कलन राशि ₹ 27,38,015/- (रुपए सत्ताईस लाख अड़तीस हजार पन्द्रह मात्र) की तकनीकी स्वीकृति विश्वविद्यालय के स्वीकृत Engineering Unit बजट मद M&R to Building में प्रावधानित राशि ₹ 100 लाख अंतर्गत प्रदान करने हेतु भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 27,38,015/- (रुपए सत्ताईस लाख अड़तीस हजार पन्द्रह मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

20. विश्वविद्यालय परिसर में बाऊंड्रीवाल पोताई कराने के संबंध में स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद स.क्र. 22 में प्रावधानित Building Painting Distemper में राशि ₹ 200 लाख अंतर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासनिक (कार्योत्तर) एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रशासनिक (कार्योत्तर) एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

21. विश्वविद्यालय परिसर के विभाग भवनों में पाँच वाहन शेड निर्माण कार्य के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद 5(b) मोटर गैरेज हेतु प्रावधानित राशि ₹ 50 लाख अन्तर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 43,53,915/- (रुपए तिरालीस लाख तिरपन हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) की प्रशासनिक (कार्योत्तर) एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रशासनिक (कार्योत्तर) एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

22. विश्वविद्यालय के कुलपति निवास के पीछे वाहन शेड निर्माण के संबंध में प्राप्त निविदा राशि अधिक होने (above 12.95% as per SOR) के कारण भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार निविदा को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने पर विचार करना।

(कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2021 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त)

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

23. विश्वविद्यालय के बी.एड. भवन पहुँच मार्ग निर्माण के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट में Engineering Unit बजट मद स.क्र.(10) Campus Buitification हेतु प्रावधानित राशि ₹ 30 लाख अंतर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 9,92,437 /—(रुपए नौ लाख बानबे हजार चार सौ सैंतीस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

24. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शेड निर्माण के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद 5(b) मोटर गैरेज हेतु प्रावधानित राशि ₹ 50 लाख अंतर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 9,78,374 /— (रुपए नौ लाख अठत्तर हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

(कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त)

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

25. विश्वविद्यालय में मूर्ति चौक के पास गार्डन की ओर हाई मास्ट पोल एवं उसमें L.E.D. Flood Light लगाने के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद 5(a) Construction work, Electrification में प्रावधानित राशि ₹ 40 लाख प्रावधान अंतर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 10,83,128 /— (रुपए दस लाख तिरासी हजार एक सौ अट्ठाईस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

(कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त)

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

26. विश्वविद्यालय के भवनों की आंतरिक पोताई कराने के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वीकृत बजट Engineering Unit बजट मद स.क्र. 22 में (Building Painting, Distempering) प्रावधानित राशि ₹ 200 लाख अन्तर्गत भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

27. छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अधोसंरचना मद में प्रावधानित अनुदान राशि ₹ 100 लाख में से गणित अध्ययनशाला भवन निर्माण प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की अनुशंसानुसार प्राक्कलन राशि ₹ 99,45,000 /—(रुपए निन्यानबे लाख पैंतालीस हजार मात्र) विमुक्त करने छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किए जाने पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

6

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 03.08.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

उपाधि विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. डॉ. अनिल कुमार वर्मा को दीक्षांत समारोह के पूर्व साक्षात्कार में उपाधि प्रस्तुत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपाधि प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु उनके आवेदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डॉ. अनिल कुमार वर्मा की उपाधि प्रमाण-पत्र छात्रहित को ध्यान में रखते हुए जारी किए जाने का अनुमोदन किया गया।

3. वर्ष 2021-22 की मुख्य परीक्षा (अप्रैल-मई 2022) गोपनीय मुद्रण हेतु कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2022 में अनुबंधित फर्म के द्वारा प्रस्तुत देयक रु. 9,04,482.00 (रुपए नौ लाख चार हजार चार सौ बयासी मात्र) की भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

कंप्यूटर सेंटर गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. विश्वविद्यालय हेतु नया सर्वर, यू.पी.एस. एवं रैक क्रय हेतु रु. 20,42,283=00 (रुपए बीस लाख बयालीस हजार दो सौ तिरासी मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. श्री हीराराम वर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग की सी.पी.एफ. राशि रुपए 13,02,461.00 (रुपए तेरह लाख दो हजार चार सौ इकसठ मात्र) के अंतिम भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

6. छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, के वित्त निर्देश 09/2022 पत्र क्रं. 265/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/05/2022 के अनुसार विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त (90 प्रतिशत पेंशन प्राप्त) कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 174 प्रतिशत किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. डॉ. राजेंद्र प्रसाद दास, प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर वर्तमान में सम-कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110068 की Pro-Vice Chancellor के पद पर पुनः नियुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 09.08.2022 से 03 वर्ष या Pro-Vice Chancellor (सम-कुलपति) पद का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो के लिए पुनः धारणाधिकार में वृद्धि के संबंध में आवेदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

संपदा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रायपुर में भू-अर्जन प्रकरणों में कुर्की के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन से प्राप्त मुआवजा राशि रु. 14,57,18,158=00 (रुपए चौदह करोड़ सतावन लाख अठारह हजार एक सौ अठावन मात्र) को माननीय न्यायालय में उक्त मुआवजा राशि जमा करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन के पत्र के परिप्रेक्ष्य/संदर्भ में कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णयसामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-8/2021/38-2 दिनांक 22.07.2022 के परिपालन में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के शैक्षणिक रिक्त पदों को भरने की अनुमति की सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

IQAC से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय के IQAC के प्रस्ताव प्रत्यायन प्रक्रिया को स्थगित करने हेतु विचार करना।

निर्णय: शासन द्वारा अनुमति प्राप्त पदों पर नियुक्ति एवं अपूर्ण अकादमिक एवं अधोसंरचना के कार्यों की पूर्णता तक प्रत्यायन प्रक्रिया को स्थगित करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5-1/2021/38-2, दिनांक 06/10/2021 तथा वित्त विभाग के निर्देश 33/2021 पत्र क्रमांक 1365/एफ-01002199/एल-11-2/ब-4/चार, दिनांक 17/12/2021 के अनुसार विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को भुगतान जनवरी-2016 से अगस्त-2017 तथा जुलाई-2018 एवं अगस्त-2018 का कुल एरियर्स की राशि आयकर सहित कुल राशि रु. 36,80,569/- (रुपए छत्तीस लाख अरसी हजार पांच सौ उनहत्तर मात्र) भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।


निर्णय: अनुमोदन प्रदान किया गया।


अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के एम.ए. राजनीति विज्ञान की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सत्र 2022-23 से 'स्वर्गीय श्री बेनीमाधव तिवारी स्मृति स्वर्ण-पदक' प्रदान करने हेतु नवीन विनियम के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: दानदाता श्री रवि तिवारी (शास. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के पीछे, सिविल लाईन, रायपुर) द्वारा 'स्वर्गीय श्री बेनीमाधव तिवारी स्मृति स्वर्ण-पदक' (Lt. Shri Benimadhav Tiwari Memorial Gold Medal) के नाम से सत्र 2022-23 से एम.ए. राजनीति विज्ञान की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण-पदक प्रदान किए जाने हेतु विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 03.08.2022 को अनुमोदित प्रस्तावित विनियम क्रमांक-200 का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 2149/अका./का.प/2022

रायपुर, दिनांक 05/08/2022

8

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

9

क्रमांक : 2243 / अका. / का.प. / 2022

रायपुर, दिनांक 17/08/2022


विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की अड़सठवीं (आपातिक) बैठक बुधवार दिनांक 17.08.2022 को अपराह्न 03:30 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-


- | | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 1. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति - अध्यक्ष | | |
| 2. डॉ. सी.डी. अगाशे - सदस्य | 6. डॉ. शैलेन्द्र सराफ - सदस्य | |
| 3. डॉ. एस.के. प्रसाद - सदस्य | 7. डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स - सदस्य | |
| 4. डॉ. सौम्या नैय्यर - सदस्य | 8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट - सदस्य | |
| 5. डॉ. मधुलिका अग्रवाल - सदस्य | 9. डॉ. एम.एल. नायक - सदस्य | |
| 10. डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल, कुलसचिव (प्रभारी) - सचिव | | |

01. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्र. एफ 17-110/2022/38-2, दिनांक 10.08.2022 के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/अध्यादेश में संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16.08.2022 के अनुशासनानुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में स्नातक स्तर पर वर्तमान में प्रचलित अध्यादेश पूरे राज्य में एक समान हैं। अतः छात्रों की सुविधा एवं एकरूपता बनाए रखने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर के अध्यादेश एक समान होने चाहिए। प्रदेश के छात्रों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए एक अध्यादेश या पाठ्यक्रम को पृथक से अमल में लाना उचित नहीं है, क्योंकि विभिन्न पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश परस्पर संबंधित होने से सीधे प्रभावित होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समग्र रूप से अमल में लाने हेतु अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव (प्रभारी)
सचिव

पृ. क्रमांक : 2244 / अका. / का.प. / 2022

रायपुर, दिनांक 17/08/2022

प्रतिलिपि :-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की उनहत्तरवीं बैठक गुरुवार दिनांक 06.10.2022 को मध्याह्न 12.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृ. क्र. 01 से 05 तक)

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. श्रीमती सुमति बाई, दफ्तरी, ग्रंथालय एवं सूचनाविज्ञान अध्ययनशाला से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 5,51,618.00 (रुपए पाँच लाख इंक्यावन हजार छः सौ अट्ठारह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : श्रीमती सुमति बाई, दफ्तरी, ग्रंथालय एवं सूचनाविज्ञान अध्ययनशाला से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 5,51,618.00 (रुपए पाँच लाख इंक्यावन हजार छः सौ अट्ठारह मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

3. स्व. डॉ. अमर कांत पाण्डेय, प्रोफेसर सांख्यिकीय अध्ययनशाला का 240 दिनों के अवकाश नगदीकरण रुपए 19,82,448/- (रुपए उन्नीस लाख बयासी हजार चार सौ अड़तालीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3383/स्था./सा.प्रशा./2022 दिनांक 08.09.2022 के परिपालन में डॉ. अमर कांत पाण्डेय, प्रोफेसर का आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप पात्रतानुसार 240 दिनों के अर्जित अवकाश के समर्पण को स्वीकार कर नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। (आदेश की प्रति संलग्न)

डॉ. श्रीमती राधा पाण्डेय, पत्नी- स्व. डॉ. अमर कांत पाण्डेय, प्रोफेसर को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 19,82,448/- (रुपए उन्नीस लाख बयासी हजार चार सौ अड़तालीस मात्र) का भुगतान कर दिया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

4. वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

टीप : वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक का छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अंकेक्षण प्रतिवेदन को माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. वर्ष 2021-22 की विभिन्न सेमेस्टर परीक्षा (मई-जून 2022), वार्षिक विशेष परीक्षा 2022, पूरक परीक्षा 2022 के गोपनीय मुद्रण कार्य के भुगतान की राशि रु. 8,88,303.00 (रुपए आठ लाख अठ्यासी हजार तीन सौ तीन मात्र) के भुगतान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : वर्ष 2021-22 की विभिन्न सेमेस्टर परीक्षा (मई-जून 2022), वार्षिक विशेष परीक्षा 2022, पूरक परीक्षा 2022 के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अधिकृत फर्म, जिसको कार्यपरिषद् की बासठवीं बैठक दिनांक 11.01.2022 (विषय सूची क्रमांक 08) में अनुमोदन के फलस्वरूप अनुबंधित किया गया। संबंधित फर्म द्वारा कार्य संपादन किया गया। अनुबंधित फर्म द्वारा कार्य संपादन उपरांत राशि रु. 8,88,303.00 (रुपए आठ लाख अठ्यासी हजार तीन सौ तीन मात्र) का देयक प्रस्तुत किया गया, जिसे विश्वविद्यालय गोपनीय विभाग द्वारा सत्यापित किया गया है। संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक रु. 8,88,303.00 (रुपए आठ लाख अठ्यासी हजार तीन सौ तीन मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रशासनिक एवं भुगतान की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

6. शोधार्थी, डॉ. राजेश्री महंत रामसुंदर दास को डी.लिट्. (संस्कृत) उपाधि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

टीप : अध्यादेश क्रमांक- 46 की कंडिका 17(i) में प्रावधानानुसार तीन सदस्यीय बाह्य परीक्षकों में से दो की उपस्थिति में डॉ. राजेश्री महंत रामसुंदर दास की डी.लिट्. मौखिकी परीक्षा दिनांक 24.09.2022 को कुलपति सचिवालय, मीटिंग हॉल, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संपन्न हुई है।

बाह्य परीक्षक की संस्तुति अनुसार इन्हें डी.लिट्. (संस्कृत) उपाधि प्रदान करने हेतु अध्यादेश क्रमांक 46 की कंडिका 18 के अनुसार "After the Viva-Voc examination the recommendation shall be reported to the Executive Council for approval. After the approval of Executive Council for the award of D.Litt. degree to the candidate."

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

7. पी-एच.डी. उपाधि के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ. क्रमांक- 06 से 08 तक)

टीप: विभिन्न संकाय में पी-एच.डी. हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 17.03.2022 से 27.09.2022 (अधिसूचना क्रमांक 3499 से 3582 तक) की जानकारी निम्नानुसार है :-

कला संकाय	- हिंदी-08, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान-01 अंग्रेजी-01
सामाजिक विज्ञान संकाय	- समाजशास्त्र-05, इतिहास-03, राजनीति विज्ञान-05, क्षेत्रीय अध्ययन-04, अर्थशास्त्र-10, मनोविज्ञान-01, प्रा.भा. इतिहास-03,
वाणिज्य संकाय	- वाणिज्य-03
गृह विज्ञान संकाय	- गृह विज्ञान-03
शिक्षा संकाय	- शिक्षा-05
विज्ञान संकाय	- गणित-01, भू-विज्ञान-01, भौतिक-07, रसायन शास्त्र-13
जीव विज्ञान संकाय	- मानव विज्ञान-01, वनस्पति शास्त्र-02, माइक्रोबायोलॉजी-02, प्राणीशास्त्र-02, बायोकेमेस्ट्री-03
टेक्नालॉजी संकाय	- फार्मेसी-05
प्रबंध संकाय	- प्रबंध-02
विधि संकाय	- विधि-03

इस प्रकार कुल 94 शोधार्थियों को पी-एच.डी. उपाधि हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है। शोधार्थियों की सूची माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. डॉ. संजय तिवारी, प्रोफेसर, इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को राज्यपाल एवं कुलाधिपति मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1-4/22/रा.स./यू.ए. 1/1308 दिनांक 27.09.2022 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलपति के पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप प्रोफेसर, इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स के पद पर दिनांक 03.10.2022 से 04 वर्ष की धारणाधिकार की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : डॉ. संजय तिवारी, प्रोफेसर, इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28.09.2022 में उन्होंने राज्यपाल एवं कुलाधिपति मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1-4/22/रा.स./यू.ए. 1/1308 दिनांक 27.09.2022 का उल्लेख करते हुए उन्हें मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का कुलपति नियुक्त किए जाने की जानकारी देते हुए कुलपति पद

पर पदभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 01.10.2022 से 04 वर्षों के लिए धारणाधिकार स्वीकृति की माँग की गई है।

मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल के उपरोक्त आदेश के परिपालन में डॉ. संजय तिवारी, प्रोफेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3690/स्था./सा.प्रशा./2022 दिनांक 30.09.2022 के द्वारा दिनांक 01.10.2022 अपराह्न से कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में भारमुक्त किया गया है।

धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियम 31, भाग-2 की कंडिका 11 का उद्धरण निम्नानुसार है :-

"On confirmation on a permanent post, a University employee acquires a lien on that post. A University employee holding a permanent post substantively, if appointed substantively to another post, acquires a lien on the second post and ceases to hold any lien on the first one."

अतः उक्त प्रावधानानुसार डॉ. संजय तिवारी, प्रोफेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला को कुलपति पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु तिथि 03.10.2022 से प्रोफेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स के पद पर 04 वर्ष की धारणाधिकार की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

9. डॉ. रामसिंग कुर्रे को (NCNR) में पोस्ट डॉक्टरल फेलो (PDF) के रूप में अंशकालीन व्याख्याता के लिए देय अधिकतम मानदेय रु. 31,200/- (रुपए इकत्तीस हजार दो सौ मात्र) प्रतिमाह के दर पर अस्थायी आधार पर सेवा लिए जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली (DST New Delhi) द्वारा प्रदत्त परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में National Center for Natural Resources (NCNR) की स्थापना सन् 2012 में हुई तथा अनेक महत्वपूर्ण मंहगे एवं अत्याधुनिक उपकरणों जैसे NMR, LC MS-MS, HPLC, HPTLC, AAS, FTIR, Gel Electrophoresis, RTPCR, PCR, SFE Unit इत्यादि की खरीदी की गई। परियोजना के समाप्ति के पश्चात् इन उपकरणों के रख-रखाव संचालन तथा विभिन्न हितधारकों हेतु नमूना विश्लेषण के साथ परामर्श सेवा भी प्रदान करने की आवश्यकता पड़ी। उक्त हेतु पी-एच.डी. धारक उम्मीदवार, जिसके पास विज्ञान की पृष्ठभूमि के साथ-साथ विश्लेषणात्मक अनुप्रयोगों के क्षेत्र में विशेषज्ञता हो, को पोस्ट डॉक्टरल फेलो (PDF) के रूप में रखा जाना अनिवार्य है।

उक्त तारतम्य माननीय कार्यपरिषद् से अनुमोदन की प्रत्याशा में डॉ. रामसिंग कुर्रे का चयन कर जून 2022 से एन.सी.एन.आर. (NCNR) में पोस्ट डॉक्टरल फेलो (PDF) के रूप में अंशकालीन व्याख्याता को देय अधिकतम मानदेय राशि रु. 31200/- (रुपए इकत्तीस हजार दो सौ मात्र) प्रतिमाह के दर पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया।

डॉ. रामसिंग कुर्रे को (NCNR) में पोस्ट डॉक्टरल फेलो (PDF) के रूप में अंशकालीन व्याख्याता के लिए देय अधिकतम मानदेय के रूप में निर्धारित मानदेय के आधार पर सेवा लिए जाने पर राशि रुपए 3,74,400=00 (रुपए तीन लाख चौहत्तर हजार चार सौ मात्र) वार्षिक व्ययभार आएगा। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को रसायन विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

टीप : रसायन विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 14.09.2022 के निर्णयानुसार शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को रसायन विषय में शोध-केंद्र की मान्यता अस्थाई रूप से प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक-107 की कंडिका-08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. भू-विज्ञान अध्ययनशाला हेतु जेमोलॉजी लैब उपकरण क्रय देयक राशि रु. 7,78,188=00 (रुपए सात लाख अठहत्तर हजार एक सौ अठ्यासी मात्र) के भुगतान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, के पत्र क्रमांक एफ 5-5/2021/38-2 नवा रायपुर दिनांक 02.11.2021 के जेमोलॉजी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु नवीन मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रु. 50,00,000/- (रुपए पचास लाख मात्र) का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त स्वीकृत राशि में से शासन द्वारा रु. 12,50,000/- (रुपए बारह लाख पचास हजार मात्र) विमुक्त किया गया है।

भू-विज्ञान अध्ययन के जेमोलॉजी लैब के लिए उपकरण सामग्री क्रय हेतु निविदा सूचना क्र. 81/विकास/2022/रायपुर, दिनांक 09.02.2022 एवं द्वितीय निविदा सूचना क्र. 228/विकास/2022 दिनांक 18.04.2022 समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले फर्म The Pioneers, Dr. R.P. Banerjee Road, Dhantoli, Nagpur - 440013 को भू-विज्ञान अध्ययनशाला के जेमोलॉजी लैब के लिए उपकरण सामग्री क्रय हेतु पत्र क्र. 359/विकास/2022 दिनांक 23.08.2022 के द्वारा आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति कर इंस्टालेशन करने के पश्चात् देयक क्र. TP/Ord-16(H)/2022-23 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा रु. 7,78,188=00 (रुपए सात लाख अठहत्तर हजार एक सौ अठ्यासी मात्र) भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

फर्म को कुल 08 सामग्री हेतु आदेशित किया गया था। जिसमें 01 सामग्री निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार नहीं है, जिसे फर्म द्वारा Replace करने का आश्वासन दिया गया है। संबंधित फर्म को उक्त सामग्री का भुगतान रु. 75,716=00 (रुपए पचहत्तर हजार सात सौ सोलह मात्र) रोककर शेष सामग्री का भुगतान रु. 7,02,472=00 (सात लाख दो हजार चार सौ बहत्तर मात्र) किया जाना है। फर्म द्वारा Replace करने पर उक्त सामग्री का भुगतान किया जावेगा।

अतः जेमोलॉजी उपकरण मद में प्रावधानित राशि से भुगतान करने के लिए कुल राशि रु. 7,78,188=00 (रुपए सात लाख अठहत्तर हजार एक सौ अठ्यासी मात्र) मात्र की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. श्री सुरेंद्र वर्मा, प्रथम श्रेणी लिपिक, गोपनीय विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 5,91,797.00 (रुपए पाँच लाख इंक्यानबे हजार सात सौ संत्यानबे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : श्री सुरेंद्र वर्मा, प्रथम श्रेणी लिपिक, गोपनीय विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 5,91,797.00 (रुपए पाँच लाख इंक्यानबे हजार सात सौ संत्यानबे मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

13. वित्तीय वर्ष 2017-18 का अवशेष अंकेक्षण शुल्क राशि रु. 22,27,616/- (रुपए बाईस लाख सत्ताईस हजार छः सौ सोलह मात्र) भुगतान किए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

टीप : संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा से वित्तीय सत्र 2016-17 से 2017-18 का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त उपरांत वित्तीय सत्र 2017-18 का अवशेष अंकेक्षण शुल्क राशि रु. 22,27,616/- (रुपए बाईस लाख सत्ताईस हजार छः सौ सोलह मात्र) छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा को भुगतान किए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

संचालक शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 08.09.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

15. श्री रविशंकर शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ के पुनः प्रकाशन के संबंध में विचार करना।

टीप : श्री शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ समिति, म.प्र. हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 2 अगस्त 1955 को श्री रविशंकर शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। वर्तमान में ग्रंथालय में इसकी केवल एक ही प्रति उपलब्ध है।

यह विश्वविद्यालय पं. रविशंकर शुक्ल जी के नाम पर उनके योगदान को स्मृति पटल पर अक्षुण्ण रखने के लिए स्थापित किया गया है।

शासन स्तर पर एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा भी समय-समय इस पुस्तक की माँग की जाती है। आशय यह है कि यह पुस्तक प्रकाशन के 67 साल बाद भी समसामयिक एवं प्रासंगिक है।

श्री रविशंकर शुक्ल जी के परिवार के सदस्यों ने पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु कार्यवाही करने आग्रह किया है ताकि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एवं सामान्यजन छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से परिचित हो सकें। प्रतीत होता है कि यह पुस्तक कॉपीराइट के दायरे में नहीं आता है एवं इसके अकादमिक प्रयोजन हेतु प्रकाशन में कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है।

यह पुस्तक महत्वपूर्ण, दुर्लभ एवं प्रेरणास्पद है। इस वजह से पुनः प्रकाशन योग्य है। अनुमानित व्यय -

(1) 500 प्रति : रु. 1 लाख 70 हजार + जीएसटी

(2) 1000 प्रति : रु. 2 लाख 30 हजार + जीएसटी

अतः श्री रविशंकर शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ का पुनः प्रकाशन हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विकास विभाग से विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. Annual Maintenance Contract (AMC) for Silent Diesel Generator & Repairing कार्य हेतु रु. 13,94,186=00 (रुपए तेरह लाख चौरानबे हजार एक सौ छियासी मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग/अध्ययनशालाओं में लगे Silent Diesel Generator के Annual Maintenance Contract(AMC) एवं 04 नग बंद पड़े जनरेटर के रिपेयरिंग कार्य हेतु निविदा सूचना क्रं. 127/विकास/नि.सू./2022 रायपुर, दिनांक 08/03/2022 एवं द्वितीय निविदा सूचना क्र. 370/विकास/नि.सू./2022 रायपुर, दिनांक 25/08/2022 समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। उक्त निविदा में फर्म Ajay Enterprises, B/06, C-138, Priyadarshini Nagar, Near Airfair Service Center, Raipur Chhattisgarh के द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम है।

विश्वविद्यालय में उपलब्ध कुल 06 नग 125 KVA Silent Diesel Generator का Annual Maintenance Contract(AMC) कराया जाना है, जिस पर रु. 4,46,040=00 (चार लाख छियालिस हजार चालिस) मात्र व्यय होगा एवं 03 नग 62.5 KVA Silent Diesel Generator जो बंद पड़े है एवं बनने योग्य नहीं है, उनका Annual Maintenance Contract (AMC) नहीं कराया जाना है।

विश्वविद्यालय के जैविकी अध्ययनशाला, रसायन एवं भौतिकी अध्ययनशाला, पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार एवं कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला में लगे 04 नग बंद पड़े 125 KVA Silent Diesel Generator का रिपेयरिंग कार्य कराया जाना है, जिस पर रु. 9,48,146=00 (नौ लाख अड़तालिस हजार एक सौ छियालिस मात्र) व्यय होगा।


उक्त दोनों कार्यो पर रु. 13,94,186=00 (तेरह लाख चौरानबे हजार एक सौ छियासी) मात्र व्यय होगा। अतः सामान्य मद में जनरेटर रिपेयरिंग एवं मेंटनेंस हेतु प्रावधानित राशि से उक्त कार्य कराए जाने हेतु रु. 13,94,186=00 (तेरह लाख चौरानबे हजार एक सौ छियासी) मात्र स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. विश्वविद्यालय अध्ययनशाला शिक्षकों के कैरियर एडवांस स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति के लिए गठित चयन समिति/छानबीन एवं मूल्यांकन समिति की दिनांक 04.08.2022 से दिनांक 01.10.2022 तक आयोजित बैठकों में की गई अनुशंसा संबंधी लिफाफे खोले जाने एवं अनुशंसित आवेदकों के नाम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

टीप : बंद लिफाफा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

18. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।


कुलसचिव